<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर०ए०एस०</u>

<u>प्रकरण संख्या 05/2024 (उदयपुर डिक्री)</u>

राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती मेरी कुट्टी तथाकथित पत्नी रामलाल जोशी मृतक के बजाय :–

1/1. दिलीप कुमार पिता रामलाल जी जोशी, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. दिनेश कुमार पिता रामलाल जी जोशी, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती शीला पुत्री रामलाल जी जोशी, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त० अधि०– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा दि0
18–02–2021 प्रकरण संख्या 109/20

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 17–05–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 तथा उनकी माता मृतक श्रीमती मेरी कुट्टी ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 64 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की भूमि मौजा मजावद में स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में आराजी नंबर 1532, 1536 रकबा 136 बीघा 19 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता रामलाल पिता देवीलाल ब्राहमण के नाम सब डिविजन ऑफिसर उदयपुर द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 21–03–1974 को उक्त आराजियात में 5 बीघा भूमि आवंटित कर कब्जा सिपुर्द किया गया था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 456 दि[illegible] 20–[illegible]2–1974 को स्वीकृत होकर वादीगण के पिता के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई, जिसका इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 में किया गया है, किन्तु इसके बाद की जमाबन्दी में सहवन से अमल दरामद करने से रह गया। उक्त आराजियात के हाल आराजी नंबर 1848 रकबा 18.2900 हैक्टर है, जो वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित आराजी नंबर 1848 रकबा 18.2900 हैक्टर में उनके पिता रामलाल को आवंटित 5 बीघा आवंटित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम नहीं की गयी एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 18–02–2021 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–01–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना उपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि होने से निर्णय व डिक्री के बारे में राय मशविरा किये जाने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में जब प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय पारित करना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब पेश होते ही सीधे निर्णय व डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, न ही अपने दावे को साबित कराया, फिर भी वाद डिक्री कर दिया, जो काबिल निरस्ती के है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो वादीगण द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज को प्रदर्श किया गया है, न ही साक्ष्यों द्वारा उन दस्तावेजों को साबित ही कराया गया है। वादी मेरी कुट्टी ने अपने आपको रामलाल जोशी की पत्नी बताकर वाद प्रस्तुत किया है, जो क्रिश्चियन है, जबकि रामलाल जोशी ब्राहमण होने से उसका पति कैसे हुआ। वादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी मांगी है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार राजस्थान काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया एवं वादीगण के कहे अनुसार वाद डिक्री कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2021 से 2024 में साबिक आराजी नंबर 1532, 1536 रकबा 136 बीघा 19 बिस्वा राजकीय भूमि दर्ज है तथा उससे हाल आराजी नंबर 1848 बनना मिलान क्षेत्रफल से साबित है, जो वर्तमान जमाबन्दी में भी बिलानाम सरकार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजी नंबर 1848 रकबा 17.6400 हैक्टर में से 5 बीघा भूमि का खातेदार वादीगण को घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जो कभी भी वादीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज नहीं रही है तथा पूर्व में भी बिलानाम सरकार ही दर्ज थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण के कथनानुसार जो 5 बीघा भूमि का आवंटन रामलाल पिता देवीलाल ब्राहमण के पक्ष में किया जाना बताया है, किन्तु रामलाल ब्राहमण है, जबकि वादी मेरी कुट्टी क्रिश्चियन है। ऐसी स्थिति में यह [illegible] का विषय था मेरी कुट्टी रामलाल ब्राहमण की पत्नी है अथवा नहीं [illegible]। हम यह भी पाते हैं कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के दावे का एक आधार प्रतिकूल कब्जा भी रहा है, जबकि वर्तमान में माननीय राजस्व द्वारा पारित नवीनतम निर्णयों की रोशनी में काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में उक्त सभी बिन्दुओं पर तनकियात कायम कर एवं उन पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण को राजकीय भूमि में से 5 बीघा भूमि का खातेदार घोषित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 18–02–2021 अपास्त की जाती है तथा जमीन पुनः बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा जिला उदयपुर — बनाम — श्रीमती मेरी कुट्टी मृतक के बजाय दिलीप कुमार पिता रामलाल जोशी निवासी मजावत, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.......05 / 2024...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....गोगुन्दा........... मुकाम................मुवर्खे.............18..............माह..............02............2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........17....माह........05....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री कमलेश चौहान.....मिनजानिब अपीलान्ट व..

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 18–02–2021 अपास्त की जाती है तथा जमीन पुनः बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......17.......माह.......05..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का वह खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested